झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–01/2019 72 /कृ0, राँची, दिनांक– 03-05-19

प्रेषक,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः वित्त (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग।

विषयः– **राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में नई योजना के रूप में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हेतु रू. 2000.00 करोड़ रूपये (दो हजार करोड़ रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना राज्य सरकार की अत्यन्त ही महत्वकांक्षी किसान कल्याणकारी योजना है। इस योजना में राज्य के वैसे सभी किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके पास अधिकतम पाँच (05) एकड़ तक कृषि योग्य भूमि होगी। इस आर्थिक सहायता से किसान कृषि कार्य हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा–बीज, उर्वरक इत्यादि का क्रय, भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं मजदूरी इत्यादि मद में होने वाले व्यय हेतु सक्षम हो सकेंगे एवं उन्हें अतिरिक्त सहायता भी मिल सकेगी।

राज्य में कुल किसानों की संख्या अठाईस लाख से भी ज्यादा है तथा उनपर काफी कृषि ऋण है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाले आर्थिक सहायता से कृषकों को बैंक या अन्य स्त्रोतो से लिए जाने वाले कर्जो पर से निर्भरता में कमी होगी और वे कर्ज के जाल से भी मुक्त हो सकेंगे। इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष रू. पाँच हजार (Rs. 5000/-) मात्र की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में दी जायेगी। जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0–1 एकड़ तक होगी, उन्हें पाँच हजार रूपये आर्थिक सहायता के रूप में समान दर (Flat Rate) दिये जायेंगे तथा जिनके पास 1–5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी, उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार पाँच हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जायेगी। यह योजना सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में संबल का काम करेगी।

किसानों के चयन का आधार कृषि गणना 2015–16 के शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण के उपरान्त प्राप्त आँकड़ों से होगा। उल्लेखनीय है कि कृषि गन्ना के आँकड़ें पंजी–II पर आधारित है।

निम्न श्रेणी के किसान/व्यक्ति इस योजना के लाभुक नहीं होंगे :–

(क) सभी संस्थागत भू–धारक,

(ख) वैसे किसान जिनके परिवार में वे स्वयं या एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हैं :–

1. पूर्व या वर्त्तमान संवैधानिक पद धारक,

(97)

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पूर्व या वर्त्तमान मंत्री/पूर्व या वर्त्तमान लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/पूर्ववर्ती संयुक्त बिहार के समय से राज्य विधान परिषद के सदस्य, नगर निगम के पूर्व या वर्त्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष,
3. केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई, केन्द्रीय या राज्य PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय/सरकार के अधीन स्वायत संस्थाएँ के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी, (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
4. सभी Superannuated/सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10000 रूपया या अधिक है (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर),
5. गत निर्धारण वर्ष (Assesment Year) 2019-20 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति,
6. Professionals जैसे- सभी निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं,
7. वैसे लाभुक जिनकी आयु 01.01.2019 को 18 वर्ष से कम होगी।

(ग) योग्याता के लिए लाभुक का स्वघोषणा आवश्यक होगा। लाभुक के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उनके परिवार के अन्य वयस्क सदस्य द्वारा स्वघोषणा दिया जायेगा। गलत स्वघोषणा की स्थिति में लाभुक से वित्तीय लाभ की वसूली की जायेगी एवं विधि के अनुसार अन्य दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

2. उपरोक्त के क्रम में राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई योजना के रूप में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हेतु रू. 2000.00 करोड़ रूपये (दो हजार करोड़ रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इस योजना के सफल कार्यान्वयन में मुख्यतः तीन विभागों यथा- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहभागिता होगी। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कृषि गणना 2015-16 Phase-I का शुद्धिकरण एवं अद्यतन का कार्य करेगा तथा इस कार्य के उपरान्त डिजिटली हस्ताक्षरित डाटा कृषि विभाग से सहमति लेकर NIC को उपलब्ध करायेगा। NIC द्वारा इस योजना के डिजीटल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक पोर्टल का निर्माण किया जायेगा। पोर्टल का स्वरूप कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की सहमति से होगा।
4. कृषि गणना के शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से राज्य के सभी उपायुक्तों को उक्त कार्य के सम्पादन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
5. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक तैयारी करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री एवं संबंधित माननीय मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अनुमोदन से सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है तथा उक्त कार्य को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर सम्पादित कर देने का निदेश भी जारी किया जा चुका है। कृषि गणना 2015-16 के शुद्धिकरण (प्रक्रियाधीन) के दौरान आने वाले दावो/आपत्तियों के निराकरण हेतु भी दिशा-निदेश एवं Flow Chart निर्गत कर दिया गया है।

72
03-05-19